UPBN240007242014

Warrant case/100515/2014(Delivered on 21-04-2026)

Presented on : 09-09-2014
Registered on : 09-09-2014
Decided on : 21-04-2026
Duration : 11 years, 7 months, 12 days

न्यायालयः:न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहसवान, जनपद-बदायूँ।

पीठासीन अधिकारीः:हरेन्द्र सिंह,(उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा),(J.O.Code.3676)

आपराधिक वाद संख्याः:515/2014

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष

1- ओमवीर पुत्र तोताराम,
2- सोमवीर पुत्र तोताराम,
3- श्रीपाल पुत्र तोताराम,
निवासीगण मौ० मोइद्दीनपुर, थाना-सहसवान, जिला-बदायूँ।

.....अभियुक्तगण

मुकदमा अपराध संख्या-448/2014
अंतर्गत धारा-452/354/323/324/504/506 भारतीय दण्ड संहिता।
अंतर्गत क्षेत्र थाना-सहसवान, जनपद-बदायूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य अधिवक्ता(अभियोजन अधिकारी)-श्री प्रदीप कुमार सिंघल
अभियुक्तगण तरफ से विद्वान अधिवक्ताः श्री धर्मेन्द्र पाठक एडवोकेट

निर्णय

1- प्रस्तुत फौजदारी वाद में अभियुक्तगण **ओमवीर पुत्र तोताराम, सोमवीर पुत्र तोताराम, श्रीपाल पुत्र तोताराम** के विरूद्ध थाना सहसवान जिला बदायूँ की पुलिस द्वारा **मुकदमा अपराध संख्या-448/2014, धारा-452/354/323/324/504/506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा वादिनी मुकदमा श्रीमती सनीता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांकित 11.12.2013 को प्रस्तुत किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांकित 24.03.2014 को स्वीकार किया गया है। इस आशय का है कि प्रार्थिनी मोहल्ला मुहीउद्दीनपुर कस्वा व थाना सहसवान जिला बदायूँ की निवासी है तथा विपक्षीगण उपरोक्त भी प्रार्थिनी के मुहल्ले के ही निवासी हैं, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं एवं आये दिन झगड़ा करते रहते हैं। जिनकी दबंगई की बजह से कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाना चाहता है। प्रार्थिनी के पति सहसवान चुंगी में टंकी पर नौकरी करते हैं विपक्षीगण प्रार्थिनी की पुत्री के बारे में फवतियां कस रहे थे जिसका विरोध प्रार्थिनी ने किया। इसी बात को लेकर उक्त लोग प्रार्थिनी से रंजिश मानने लगे।

घटना दिनांक 15.11.2013 समय करीब 09 बजे दिन की है। प्रार्थिनी के पति नगर पालिका डयूटी पर गये थे। प्रार्थिनी घर पर अकेली थी। इसी बीच विपक्षीगण उपरोक्त अपने हाथों में नाजायज तमंचा व डण्डे लेकर प्रार्थिनी के घर में घुस आये और यह कहते हुये कि तू साली धुन्नियां बहुत बनती है। विपक्षी श्रीपाल, ओमवीर तमंचे ताने रहे सोमवीर ने प्रार्थिनी को बुरी नियत से दबोचकर जमीन पर पटक दिया और प्रार्थिनी की लज्जा भंग करने की कोशिश करने लगे। प्रार्थिनी ने पैरों से धक्का मारा तो सोमवीर दीवार में जाकर टकराया इसके बाद फिर उसने प्रार्थिनी को डण्डे से ओमवीर व श्रीपाल ने तमंचे की बटों से मारापीटा व चाकू से वार किया। जिससे प्रार्थिनी को चोटें आयीं। प्रार्थिनी के शोर पर दिनेश पुत्र हुक्मी चन्द्र व झम्मन लाल पुत्र तोताराम आ गये। जिनके ललकारने पर मुल्जिमान आयंदा जान से

मारने की धमकी देते हुये चले गये। प्रार्थिनी उसी दिन रिपोर्ट लिखाने थाने गयी, परन्तु प्रार्थिनी की रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही कोई कार्यवाही की कह दिया कि पहले जाकर डाक्टरी कराओ तब रिपोर्ट लिखी जावेगी। तब दूसरे दिन प्रार्थिनी ने अपना डाक्टरी मुआयना कराया और फिर थाने गयी, परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की तब दिनांक 18.11.2013 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर दिया, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तब प्रार्थिनी न्यायालय की शरण में आयी है। अतः प्रार्थना की गयी कि प्रार्थिनी की रिपोर्ट थाना सहसवान में दर्ज करायी जाकर कानूनी कार्यवाही की जावे।

3- वादिनी मुकदमा उपरोक्त द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 24.03.2014 के अनुपालन में थाना हाजा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा संख्या-448/2014 अंतर्गत धारा-452/354/323/324/504/506 भारतीय दण्ड संहिता पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना प्रारम्भी की गयी, विवेचना में घटनास्थल का नक्शानजरी बनाया गया। वादी, चुटैल व गवाहान के बयानात अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किये गये। विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने, मेडीकल रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या-448/2014 में अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-452/354/323/324/504/506 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4- अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये। उन्होंने अपनी विधिवत रूप से जमानत कराई। अभियुक्तगण को धारा-207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियेजन प्रपत्रों की नकलें दिये जाने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 07.07.2023 को अन्तर्गत धारा-452/354/323/324/504/506 भारतीय दण्ड संहिता विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

5- अभियोजन की ओर से **साक्षीगण पी०डब्ल्यू०-1 के रूप में सुनीता देवी पत्नी रघुवीर, पी०डब्ल्यू०-2 के रूप में चिम्मन लाल उर्फ झम्मन लाल पुत्र तोताराम, पी०डब्ल्यू०-3 के रूप में दिनेश पुत्र हुकमी, पी०डब्ल्यू०-4 के रूप में शिवचरन पुत्र घनश्याम** को परीक्षित कराया गया है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों के औपचारिक निष्पादन को स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर अभियोजन की ओर से अन्य किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया।

6- अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दंण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। जिसमें उन्होंने अभियोजन घटना को झूंठा बताया तथा सफाई साक्ष्य दिये जाने से इंकार किया।

7- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

8- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यद्यपि अभियोजन साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

9- विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियोजन की ओर से **चार** साक्षीगण को परीक्षित कराया है एवं अभियोजन के केस को साबित करने के लिये साक्षियों की संख्या नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि परीक्षित साक्षी की साक्ष्य की गुणवत्ता को देखा जाना चाहिए। वर्तमान परिवेश में पीड़ित पक्ष ही अपना पक्ष रखने का साहस कर पाता है। ऐसी स्थिति में यदि एक ही साक्षी अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये पर्याप्त है तो अन्य साक्षियों को परीक्षित कराने से मात्र तथ्यों का दोहराव ही होगा।

10- पी०डब्ल्यू०-1 साक्षी सुनीता देवी पत्नी रघुवीर जो कि वादी मुकदमा है ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 15.11.2013 को जब मेरे पति डयूटी पर गए थे। तभी वहां पर हमारे मौहल्ले के मुल्जिमान ओमवीर, सोमवीर तथा श्रीपाल आए तथा आकर मेरे साथ मारपीट व गाली गलौच करने लगे। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कराया। जिसके सम्बन्ध में मैंने पर रिपोर्ट लिखवाई कोई कार्यवाही न होने पर एक प्रार्थना पत्र एस०एस०पी० बदायूँ को दिया उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर एक प्रार्थना पत्र 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में दिया प्रार्थना पत्र पत्रावली पर संलग्न है। जिस पर अपने हस्ताक्षर दस्दीक करती हूँ। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया।

साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। उपरोक्त तीनों मुल्जिमान को पहले से जानती हूँ। इनके साथ पुरानी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। शोर-शराबा होने पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। भीड़-भाड़ में धक्का-मुक्की होने

के कारण मुझे नीचे गिर जाने से कुछ चोटें आ गयी थी। जिसका मेडीकल मैंने सरकारी अस्पताल बदायूँ में कराया था। उपरोक्त मुल्जिमान ने हमारे घर में घुसकर मेरे साथ कोई मारपीट या गाली गलौच किया था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी, न ही मुझे बुरी नियत से पकड़कर लज्जभंग की थी।

11- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी बजह नहीं बता सकती हूँ।

12- **पी०डब्ल्यू०-2 साक्षी चिम्मन लाल उर्फ झम्मनलाल पुत्र तोताराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब 10 साल पहले की घटना है। मैं अपने घर पर था तभी पड़ोस के सुनीता के घर से शोर-शराबा की आवाज सुनाई दी। शोर सुनकर मैं भी सुनीता के घर पहुँच गया। जहां पर मुल्जिमान ओमवीर, सोमवीर तथा श्रीपाल की सुनीता के साथ कहासुनी हो गई थी। हम लोगों ने जाकर बीच-बचाव करा दिया था। मेरे सामने उपरोक्त मुल्जिमान ने सुनीता के साथ मारपीट, गाली-गलौच या छेड़छाड़ नहीं की थी। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

13- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी बजह नहीं बता सकता हूँ।

14- **पी०डब्ल्यू०-3 साक्षी दिनेश पुत्र हुकमी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब 10-12 साल पहले हमारे पड़ोस की सुनीता के घर से शोर-शराबा की आवाज सुनाई दी। शोर सुनकर जब मैं सुनीता के घर पहुँचा तो सुनीता की मुल्जिमान ओमवीर, सोमवीर तथा श्रीपाल के साथ कुछ कहासुनी हो रही थी। हम लोगों ने जाकर बीच बचाव करा दिया था। उपरोक्त मुल्जिमान ने मेरे सामने सुनीता के साथ मारपीट गाली-गलौच या छेड़छाड़ नहीं की थी। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी बजह नहीं बता सकता हूँ।

16- **पी०डब्ल्यू०-4 साक्षी शिवचरन पुत्र घनश्याम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि अब से करीब 10 साल पहले हमारे पड़ोस के सुनीता के साथ मुल्जिमान ओमवीर, सोमवीर तथा श्रीपाल के साथ कुछ कहासुनी हो गयी थी। शोर-शराबा सुनकर हम लोग भी मौके पर पहुँच गये थे। मेरे सामने उपरोक्त मुल्जिमान ने सुनीता के साथ घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौच या अश्लील हरकत नहीं की थी। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

17- साक्षी से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह की गयी। दौरान जिरह गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया मैं इसकी बजह नहीं बता सकता हूँ।

निष्कर्ष

18- प्रश्नगत मामले के महत्वपूर्ण साक्षी **पी०डब्ल्यू०-1 सुनीता देवी पत्नी रघुवीर** जो कि वादी मुकदमा है तथा जिसके साथ सम्पूर्ण घटना घटित हुई है; के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का अंशतः समर्थन किया गया है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के बिल्कुल विपरीतार्थक कथन किये गये हैं। वहीं अन्य साक्षी **पी०डब्ल्यू०-2 चिम्मन लाल उर्फ झम्मनलाल पुत्र तोतराम, पी०डब्ल्यू०-3 दिनेश पुत्र हुकमी व पी० डब्ल्यू०-4 शिवचरन पुत्र घनश्याम** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक का कोई समर्थन नहीं किया गया है। जिस कारण इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है।

19- अतः उपर्युक्त विवेचना एवं विश्लेषण से अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित करना साबित नहीं होता है तथा सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदिग्ध हो जाती है।

20- **The burden of proof is defined under Section 101 of the Indian Evidence Act:-** "Anyone who wants a court to rule on a legal right or responsibility based on facts he claims must first show that such facts exist. The second Section of the statute specifies that when a person is required to show the existence of a fact, that person shall also bear the burden of proof. As a result, a person seeking a favourable decision from the court must provide evidence in support of his case, according to this clause.

The usual rule is that the party that asserts a truth bears the burden of proof, not the side that denies it.

21- In criminal trials, the prosecution bears the duty of establishing the defendant's guilt, and they must do it beyond a reasonable doubt. The plaintiff has the burden of proving his case by a majority of the evidence in civil cases. If the prosecution fails to prove the accused's guilt beyond a reasonable doubt, the accused is entitled to an acquittal.

22- यद्यपि अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है, परंतु मात्र अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार किये जाने मात्र से अभियोजन कथानक को अन्यथा साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

23- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सुप्रसिद्ध विधिव्यवस्था **Nallapati Sivaiah V. Sub Divisional Officer, Guntur AIR.2008 SC 19."**

"The onus and duty to prove the case against the accused was upon the prosecution and the prosecution must establish the charge beyond reasonable doubt. It is also a cardinal principle of criminal jurisprudence that if there is a reasonable doubt with regard to the guilt of the accused is entitled to benefit of doubt resulting in acquittal of the accused.

24- उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है और अभियुक्तगण लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **ओमवीर पुत्र तोताराम, सोमवीर पुत्र तोताराम, श्रीपाल पुत्र तोताराम** को **मुकदमा अपराध संख्या-448/2014, धारा-452/354/323/324/504/506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं, उनके जमानतनामे व बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं, जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह धारा 437-ए-(1) दण्ड प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत अंकन 25,000/- रूपये का निजी बंध-पत्र तथा इसी धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करे, जो आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगें।

Date:21-04-2026

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

23- उपर्युक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Date:21-04-2026

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
(J.O.CODE. UP3676)

Transcribed on :A.Ali.(Steno)